डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प देवलेन

जलास जगदीश आर्य (आर.ए.एस)

उनवान

त्तू राम पुत्र विशन	बनाम	तहसीलदार टोडाभीम
ति मीना निवासी श्यामपुर मूडरी		....
सील हिण्डौन सिंटी		....
....		....
....		....
....		....
....		....

ा वावत इस्तकरारहक एवं इन्द्राज दुरूस्ती मु0न0.39 सन 2018

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई...हमोद.....व हाजरी श्री रामभरोसी गुप्ता Adv कानिब गुदई रूबरू...पैरोकार सरकार............मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म ा जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नही पाया जाता है दावा वादी खारिज योग्य है अतः दावा ा खारिज किया जाता है। ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...........—.......मुबलिंग.........—..........बाबत..........—..........खर्चा इस मुकदमे के मय शूद ़...........—.......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक..18.5.2018..को जारी की गई।

दस्तखत...उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

ओहदा..

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			म्हनताना वकील		
ाना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमीश्नर		
कमीश्नर			ववत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 39/2018 तारीख रजू:– 22.03.2018

सीन अधिकारी:– जगदीश आर्य

न:–

ाम पुत्र विशन जाति मीना निवासी श्यामपुर मुडरी तहसील हिण्डौन

बनाम

लदार टोडाभीम

दावा वावत इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 राज0टि0एक्ट व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार

निर्णय निर्णय दिनांक:– 18.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प देवलेन मे पेश हुई। वादी से प्रस्तुत वाद पत्र का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है।

यह है कि सम्वत 2071 से 2074 तक मे खाता स0 322 मे वर्णित ख0न0 2122 0.07 है0, 2123 रकवा 0.09 है0, 2124 रकवा 0.12 है0, 2125 रकवा 0.13 है0 2126 0.14 है0, 2127 रकवा 0.12 है0,2128 रकवा 0.21 है0,2129 रकवा 0.25 है0, 2130 0.16,है0 2131 रकवा 0.15 है0, 2132 रकवा 0.20है0, 2133 रकवा 0.14 है0, 2134 0.18 है0, 2135 रकवा 0.12 है0, 2136 रकवा 0.08 है0, 2137 रकवा 0.08 है0, 2138 0.10 है0, 2139 रकवा 0.10 है0, 2140 रकवा 0.13 है0, 2141 रकवा 0.12 है0, 2142 0.09 है0, 2143 रकवा 0.20 है0, 2144 रकवा 0.55 है0, 2145 रकवा 0.17 है0, 2146 0.09 है 2147 रकवा 0.12 है0, 2148 रकवा 0.12 है0, 2149 रकवा 0.11 है0, 2150 0.11 है0, 2151 रकवा 0.11 है0, 2152 रकवा 0.12 है0, 2153 रकवा 0.19 है0, 2154 0.05 है0, 2155 रकवा 0.08 है0, 2156 रकवा 0.11 है0, 2157 रकवा 0.07 है0, 2158 0.14 है0, 2159 रकवा 0.07 है0, 2160 रकवा 0.15 है0, 2161 रकवा 0.10 है0, 2162 0.09 है0, 2163 रकवा 0.08 है0, 2164 रकवा 0.05 है0, 2234 रकवा 0.04 है0, कुल 4 कुल रकवा 5.70 है0 स्थित ग्राम पीलवा तहसील टोडाभीम जिला करौल मे है। हाल रेकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी विशन्या पि0 नादान दर्ज है। जबकि सही नाम विशन पुत्र है विशन की मृत्यु हो चकी है, उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस वादी बत्तूराम है। रेकार्ड जमाबन्दी मे विशन्या पुत्र नादान का इन्द्राज गलत दर्ज है। जबकि सुगन्या व के पिता का नाम लटूरया है। टीका के पिता का नाम नादान है बद्री,सुगन्या विशन्या ास भाई है बद्री की विरासत खुल गई है। लेकिन विशन्या की विरासत नही खुली है। रेवन्यू रिकार्ड मे विशन्या के पिता का नादान लिखा हुआ है रेवन्यू कर्मचारी व पटवारी की गलती से विशन्या पुत्र टीका अशुद्व दर्ज है और इसी कारण विशन्या की विरासत ांतकरण नही खुल पाया है भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र मे विशन पुत्र लटूरया नाम दर्ज है। इस अशुद्वी के संबध मे पटवारी हल्का व तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 14.03.2018 को निवेदन किया कि द करके हमारे नाम विरासत का नामांतकरण खोल दो इस पर उन्होने कहा कि ा उप जिला कलक्टर टोडाभीम मे दुरूस्ती का दावा पेश करो तब ही तुम्हारे नाम ो दुरूस्ती हो सकती है। इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किए गए। पैरोकार सरकार ने जबाब प्रस्तुत या है कि ग्राम पीलवा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–74 मे खाता स0 322 मे तेदार का नाम विशन्या पुत्र नादान दर्ज है। तथा भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2043 से 2062 खाता स0. 259 किता 144 रकवा 17.36 है मे भी खातेदार का नाम विशन्या पुत्र नादान दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज खाता स0 322 व 321 सभी ख0न0 मुताबिक मिलान फल गत ख0न0 695 मिन.रकवा 69 बीधा 14 बिस्वा से बना है। सम्वत 2035–38 की बन्दी के खाता स0 301 ख0न0 695/1/1/1 रकवा 69 बीधा 14 बिस्वा मे भी खातेदार नाम विशना पुत्र नादान की दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी विशन पुत्र लटूरया दर्ज है। पूर्व व वर्तमान रिकार्ड से मिलान नही खाता है। व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह णित नही होता है कि खातेदार विशन्या पुत्र नादान व विशन पुत्र लटूरया एक ही व्यक्ति वं खातेदार का नाम भू–प्रबन्ध से पूर्व व वर्तमान मे भी विशन्या पुत्र नादान दर्ज होने के ग विशन पुत्र लटूरया किया जाना उचित नही है दावा खरीज योग्य है।

वादी वकील को सुना गया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का एवं जबाब पैरोकार ार का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नही पाया जाता दावा वादी खारिज योग्य है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner